संख्या-23/2018 /1448/71-4-18-एस-34/2006

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-**122**ई/यू0पी0यू0एम0एस0/2017-18, दिनांक **09-04-2018** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 354.71 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-111/2016/1831/71-2-16-एस-34/2006, दिनांक 26-08-2016 द्वारा रू0 17008.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 16,68,99,000 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त प्रायोजना हेतु अब तक कुल रू0 15803.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-22/2018/393/71-4-2018-एस-34/2006, दिनांक 10 अगस्त, 2018 द्वारा रू0 2,79,48,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से उक्त शासनादेश संख्या-22/2018/393/71-4-2018-एस-34/2006, दिनांक 10 अगस्त, 2018 के क्रम में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 75,23,000 -/(रूपया पचहत्तर लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी वि0वि0 की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

7) प्रायोजना हेतु स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जाती है कि पूर्व स्वीकृत धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या में इंगित कमियों का समाधान तत्काल करा लिया जाए एवं कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा तथा कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में निर्माण कार्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति न हो।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रति हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 20181-9 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-23/2018/1448(1)/71-4-2018 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ/इटावा।
7. समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in